भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1285
(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास

1285. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत विशेषकर गुजरात के दाहोद, पंचमहल और महिसागर जिलों में स्वीकृत आवासों की संख्या कितनी है;
(ख) उक्त जिलों में कितने आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है; और
(ग) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत शेष पात्र गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवासों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्त वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और अंतिम आवास+ (2018) सर्वेक्षण सूचियों (अद्यतन के बाद) से की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को 3.33 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष 28.11.2024 तक उन्होंने 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए हैं और 2.67 करोड़ आवास पूरे हो गए हैं। इस मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत 9,02,354 आवासों के लक्ष्य के आवंटन से गुजरात राज्य की मौजूदा

एसईसीसी 2011 पीडब्ल्यूएल और आवास+ 2018 सूची पहले ही संतृप्त हो चुकी है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य आवंटित करता है और लक्ष्यों का आगे वितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वयं किया जाता है। गुजरात राज्य में और विशेष रूप से गुजरात राज्य के दाहोद, पंचमहल और महिसागर जिलों में 28.11.2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत निर्धारित लक्ष्य, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की जानकारी **अनुबंध** में दी गई हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त बारहमासी अनुकूल पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार योजना को चार कार्यकलापों: लाभार्थी द्वारा निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), यथास्थान स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर), और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 25.11.2024 तक कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.22 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है और 88.22 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल ₹1.99 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, ₹1.66 लाख करोड़ जारी किए गए हैं और लगभग ₹1.56 लाख करोड़ का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। पीएमएवाई-यू योजना मांग आधारित योजना है, इसलिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और गुजरात राज्य में और विशेष रूप से गुजरात राज्य के दाहोद, पंचमहल और महिसागर जिलों में स्वीकृत, निर्माण के लिए जिनकी नींव रखी जा चुकी है और पूर्ण/सौंपे गए आवासों की जानकारी **अनुबंध** में दी गई है।

(ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ आवासों को सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-जी को मार्च, 2029 तक कार्यान्वित करने की मंज़ूरी दी गई है, और इसमें शेष पात्र परिवारों को शामिल करके योजना की मौजूदा लाभार्थी सूचियों को संतृप्त करना शामिल है। पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सर्वेक्षण करने के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप पहले ही 17.09.2024 को आरंभ किया जा चुका है।

पीएमएवाई-यू: मिशन की समयावधि 31.03.2022 तक थी जिसे योजना के वित्तपोषण पद्धति और कार्यान्वयन प्रणाली में बदलाव किए बिना सभी स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है। सीएलएसएस कार्यकलाप को 31.03.2022 से आगे नहीं बढ़ाया गया है।

अनुबंध

"प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास" के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1285 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पीएमएवाई-जी:गुजरात राज्य के दाहोद, पंचमहल और महिसागर जिलों में पीएमएवाई-जी के तहत 28.11.2024 तक आवंटित लक्ष्यों, स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों का विवरण निम्नानुसार है: -

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य/जिले का नाम**	**आवंटित लक्ष्य**	**स्वीकृत आवास**	**पूर्ण हो चुके घर**
1	गुजरात	9,02,354	8,16,146	5,60,969
2	दाहोद	1,18,369	1,15,950	1,06,993
3	पंचमहल	1,53,836	1,40,643	86,617
4	महिसागर	50,443	47,070	22,296

पीएमएवाई-यू:गुजरात राज्य में और विशेष रूप से दाहोद, पंचमहल और महिसागर जिलों में स्वीकृत, निर्माण के लिए तैयार और पूर्ण/सौंपे गए आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य/जिले का नाम**	**स्वीकृत आवास**	**निर्माण के लिए तैयार आवास**	**पूर्ण हो चुके/सौंपे गए आवास**
1	गुजरात	10,05,204	9,79,704	9,31,989
2	दाहोद	4,874	4,762	4,403
3	पंचमहल	8,087	8,064	7,821
4	महिसागर	2,856	2,801	2,659

*****